न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 38/2013

अपीलांट

सुगन कंवर बेवा शक्तिदानजी, जाति चारण, निवासी इटन्दडा चारणान, तहसील–रानी, जिला–पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली
2. श्रीमान तहसीलदार। भूमिधारक। रानी। देसूरी। जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अरूण कुमावत
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 01-12-2022

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रभारी अधिकारी, रानी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 द्वारा राजस्व वाद संख्या 74/2002 बउनवान सुगन कंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136, 125 भू–राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा इंटदडा चारणान के खसरा नम्बर 169/532 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 169/533 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 0.63 हैक्टर की भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। पुराने खसरा नम्बर 44 के नये खसरा नम्बर 169 रकबा 3.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 169/532 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 169/533 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 4.14 हैक्टर आई हुयी है। जिसमें से खसरा नम्बर 169/532 व 169/533 दोनो का कुल रकबा 0.63 हैक्टर की भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के सिवायचक कर दिया। जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग को प्रविष्टियो को दोहराना चाहिये था, किन्तु सेटलमेंट कर्मचारियो ने अपने अधिकार से परे जाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि कम कर सिवाय चक दर्ज कर दी। मूल पत्रावली में संशोधित वादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात सरकार को संशोधित वाद का जवाब पेश करने हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्याायलय ने पूरी पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही कैम्प कोर्ट बूसी, प्रशासन गांवो के संग अभियान में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136, 125 भू–राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा इटन्दडा चारणान के खसरा नम्बर 169/532 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 169/533 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 0.63 हैक्टर की भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136, 125 भू–राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा इटंदडा चारणान के खसरा नम्बर 169/532 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 169/533 रकबा 0.50 हैक्टर कुल रकबा 0.63 हैक्टर की भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में जिन तथ्यों को जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया है, उन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। दस्तावेजात् के तुलनात्मक अध्ययन से यह प्रकट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय अपीलाण्ट की भूमि के क्षैत्रफल में किसी प्रकार की कमी–बेशी नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा नवीन खसरा खसरा नम्बर 169/532 व 169/533 कुल रकबा 0.63 हैक्टर की भूमि को उसकी खातेदारी से कम कर सिवायचक दर्ज करने के आधार पर वाद दायर कर उक्त भूमि की खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तहसीलदार के जवाब से स्पष्ट होता है, कि उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के पुराने खसरा नम्बर से नहीं बनकर खसरा नम्बर 43 मी. व 57 मी. से बने है। जब प्रकरण की परिस्थितियां एवं विवाद का मुख्य बिन्दु ही आधारहीन हो तो उस स्थिति में प्रकरण का अन्तिम निर्णय किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहत प्रभारी अधिकारी, रानी प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 द्वारा राजस्व वाद संख्या 74/2002 बउनवान सुगन कंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली